MHME-3-2/2.1/1/2024-XXVIII-3-Medical Health and Medical Education Department

1/216437/2024

वित्तीय स्वीकृति

संख्या– 1/216437/XXVIII-3-24-e file No 70692/2024

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–03 देहरादून : दिनांक 07 जून, 2024

विषयः–PM-ABHIM के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में 50 Bedded Critical Care Block के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प/1/निर्माण/45/2021/8129 दिनांक 13.03.2024 के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन ₹ 2097.41 लाख उपलब्ध कराया गया है जिसकी टी०ए०सी०, नियोजन और व्यय–वित्त समिति द्वारा निम्नानुसार धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी है:–

निर्माण कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रस्तावित कार्य के आगणन की लागत	नियोजन विभाग की व्यय–वित्त समिति के परीक्षणोपरान्त आगणन की लागत		
			सिविल कार्य	अधिप्राप्ति कार्य	कुल
PM-ABHIM के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में 50 Bedded Critical Care Block की स्थापना।	ब्रिडकुल	₹ 2048.73	₹ 1991.95	₹ 56.78	₹ 2048.73
कुल योग					₹ 2048.73 लाख

2 उक्त निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा PM-ABHIM योजनान्तर्गत आवंटित/ अनुमोदित धनराशि जो कि विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन0एच0एम0 को उपलब्ध करायी गयी है, में से टी0ए0सी0, विभागीय समिति और व्यय–वित्त समिति के परीक्षणोंपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी/ संस्तुत लागत ₹ 2048.73 लाख (सिविल कार्य ₹ 1991.95 लाख + अधिप्राप्ति कार्य ₹. 56.78 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय के साथ चालू वित्तीय वर्ष में 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 819.492 लाख (रूपये आठ करोड़ उन्नीस लाख उनचास हजार दो सौ मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. Critical Care Block की अवस्थापना में किसी भी प्रकार की Duplicacy न हो। कार्यों के सुगम

संचालन हेतु Hospital and Critical Care Unit Functional Integration का विशेष ध्यान रखा जाय।

ii. Critical Care Block के संचालन हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन नही किया जायेगा। सी0सी0यू0 का संचालन अस्पताल के स्टाफ द्वारा ही किया जायेगा।

iii. भवन का निर्माण IPHS के मानकों के अनुसार कराया जाय।

iv. अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ दुरूपयोग/दोहरीकरण पाये जाने पर विभागाध्यक्ष, संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

v. प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

vi. व्यय करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

vii. फर्नीचर, उपकरणों एवं आवश्यक सेवाओं आदि का Procurement Plan इस प्रकार तैयार कर लिया जाय जिससे कि भवन पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार Procurement का कार्य समय पर पूर्ण हो जाय जिससे CCU का संचालन निर्बाध रूप से चले।

viii. CCU के संचालन का कार्य मानकों के अनुसार अधिक से अधिक बाह्य स्रोतों से सेवायें प्राप्त करते हुए किया जाय।

ix. Bio Medical Waste के निस्तारण हेतु जिला अस्पताल मुख्यालय पर आवश्यकतानुसार सयंत्र स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

x. प्रशासकीय विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 में कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह करते हुए कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाय।

xi. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन की Structural Design एवं Drawing अधिकृत संस्थान से वैट अवश्य कराया जाय।

xii. अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्राविधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाय। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यो के प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य कराया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अग्नि सुरक्षा के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

xiii. परिसर में विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु IEC 62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightennig Protection System IEC 62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्राविधानों को संबंधित विभाग से Vett करा लिया जाय। कार्य पूर्ण के पश्चात विद्युतीकरण एवं अग्नि सुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जाया। विद्युतीकरण के कार्यो को विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं से ही सम्पादित कराया जाय।

xiv. विद्युत कार्यों के संपादन विद्युत/यांत्रिक खण्ड के अभियंताओं से ही कराया जाय।

xv. भवनों में Green Building के मानकों के अनुसार आवश्यक प्राविधान किये जाय।

xvi. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

xvii. आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल आफॅ रेटस में उपलब्ध नही हैं, उन मदों की सामग्री की दरों

को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत ही इन मदों में कार्य कराया जाय।

xviii. योजना के कियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy Efficency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

xix. योजना कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xx. परिसर भवन में स्वतः स्वच्छता की निरंतर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

xxi. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद आदि की Fees में कोई वृद्धि नही होगी।

xxii. शासनादेश संख्या 50/XXVII(7)/2012 दि0 12.04.2012, 152/887/मार्नसि0/रा0यो0 आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं 103/XXVII (7)32/2007 टी0सी0–1 दि0 21 जुलाई, 2022 तथा 1389/ 687/मार्ग सि0/रा0यो0आ0/2022 दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 यथासंशोधित के अनुसार कार्यवाही की जाये।

xxiii. तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन site plan तथा विभिन्न ड्राईग पर प्र0वि0/उपयोगकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनो/संरचनाओं के layout पर सहमति प्राप्त कर ली जाये।

xxiv. कार्यदायी संस्था के मध्य MOU के सम्बन्ध में शा0स0 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–571/XXVII(7)/2013 दिनांक 22 फरवरी, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

xxv. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

xxvi. कार्य का मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

xxvii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।

xxviii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

xxix. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

xxx. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

xxxi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या –2047/XIV–1019 (2006) दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

xxxii. आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भवन /संरचनाओं के समस्त डिजाइन, ड्राईग एवं डी0पी0आर0को किसी मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से Vetting करा लिया जाये।

xxxiii. कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य प्रारम्भ से पूर्व प्रस्तावित कार्यस्थल का मृदा परीक्षण एवं भूवैज्ञानिक तथ्यों को संज्ञान ले लिया जाये।

xxxiv. कार्यों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।

xxxv. कार्यों को करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xxxvi. तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन site plan तथा विभिन्न ड्राईंग पर प्र0वि0/उपयोगकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनो/संरचनाओं के layout पर सहमति प्राप्त कर ली जाये।

xxxvii. व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

xxxviii. सुसंगत मद से एन0एच0एम0 को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि शासन को सूचित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

xxxix. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-19 पर समय-समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

xl. उक्त निर्माण कार्य हेतु विभागीय समिति की बैठक दिनांक 14.03.2024 के कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xli. किसी भी दशा में आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

xlii. इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 12 के संगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई0संख्या-~~7~~/2016153 दिनांक 06.06.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 07-06-2024 12:32:48

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या-I/216437/XXVIII-3-2024-e file-70692/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून -248001
ई-मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन

पत्रांक– NHMUK/ECRP& PMABHIM/Construction/CCB/2023-24 /733 दिनांक– 02/07/2024

सेवा में,

महाप्रबंधक (सिविल)
ब्रिडकुल, देहरादून।

विषय:–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत PM-ABHIM योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय मेडिकल कालेज पिथौरागढ़ में 50 Bedded critical care block के निर्माण कार्य हेतु धनआवंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– I/216437/XXVIII-3-24–efile.no.-70692/2024 दिनांक–07/06/2024 के कम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा PM-ABHIM योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल, देहरादून को जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय मेडिकल कालेज पिथौरागढ़ में 50 Bedded critical care block के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण मे रू0 600.00 लाख (छः करोड़ मात्र) की धनराशि कार्य की प्रगति हेतु पी0एफ0एम0एस0के माध्यम से निर्गत कर दी गयी है।

कृपया शासनादेश सं0– I/216437/XXVIII-3-24–efile.no.-70692/2024 दिनांक–07/06/2024 में कार्य प्रगति हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय

02/07/24

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ ।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।

02/07/24

निदेशक

AccttJE

04/07/2024